

परिषद की वाराणसी जौन के अन्तर्गत
गोरखपुर, फैजाबाद, मिर्जापुर,
बस्ती, गोण्डा
में आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों की

आवंटन/नीलामी

आवंटन/नीलामी तिथि:

15.01.2018

समय: प्रातः 11:00 बजे

: स्थान :

कार्यालय सम्पत्ति प्रबंध, ऑफिस कॉम्पलेक्स
अंगूरी बाग, फैजाबाद।

सम्पत्तियों का प्रकार/संख्या

कुल
संख्या

क्षेत्रफल
वर्गमीटर में

आरक्षित
दर प्रतिवर्ग
मीटर

अनुमानित
मूल्य
(रु. लाख में)

टोकन/पंजीकरण
धनराशि
(लाख में)

डोमसैली योजना, मिर्जापुर

अनावासीय भूखण्ड सं०-सी०पी०- 114 / 1 (अनारक्षित)	01	76.29	20832.00	—	1.59
अनावासीय भूखण्ड सं०-सी०पी०- 114 / 3 (अनारक्षित)	01	77.34	20832.00	—	1.62

शाहपुर योजना संख्या-2/3, गोरखपुर

दुकानें-LGFS-6,7, (अनारक्षित)	02	9.922 वर्गमी०	—	11.92 प्रति नग	1.20
दुकानें-LGFS-4,5,8,9,10,11, (अनारक्षित)	06	9.633 वर्गमी०	—	11.57 प्रति नग	1.16

तहसील हरैया, बागबे योजना बस्ती

आवासीय भवन 22 नग 15 / 25 प्रकार बी०पी०एल० कार्ड धारकों हेतु।	22	25.00	—	0.40 प्रति नग	0.05 लॉटरी द्वारा
--	----	-------	---	---------------	----------------------

अवधपुरी योजना, फैजाबाद

कियोस्क कै-3 (अनारक्षित)	01	4.00 वर्गमी०	—	1.80 प्रति नग	0.18 प्रति नग
प्लेट फार्म पी-3 एवं पी-4 (अनारक्षित)	02	2.00 वर्गमी०	—	1.00 प्रति नग	0.10 प्रति नग
व्यव०भू०-1341 / 1	01	100.65	21840.00	21.98	2.20
व्यव०भू०-AB-01	01	397.00	21840.00	86.71	8.68

भरतपुरी योजना, गोण्डा

प्राईमरी स्कूल भूखण्ड-फेज-2 (अनारक्षित)	01	1587.50 वर्गमी०	9680.00	—	15.40
प्राईमरी स्कूल भूखण्ड-फेज-3 (अनारक्षित)	01	1826.82 वर्गमी०	9680.00	—	17.70

नोट:- तहसील हरैया जनपद बस्ती के अंतर्गत निर्मित भवनों के लाभार्थियों की सूची अधिशासी अभियन्ता डूडा बस्ती द्वारा प्रेषित करने पर सूची में अंकित व्यक्तियों के (बी०पी०एल० कार्ड धारक) के मध्य आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। शासन द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि **रु०-5000.00** का बैंक ड्राफ्ट जो **उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद बस्ती** के नाम देय हो, आवंटन हेतु आवेदन पत्र के साथ बी०पी०एल० कार्ड / राशन कार्ड की छायाप्रति, नाम, पता, हस्ताक्षर सहित प्रमाणित फोटो निर्धारित आवंटन से एक दिन पहले सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, बी-60, सूरजकुण्ड, गोरखपुर में जमा करना आवश्यक होगा।

सामान्य सूचना:- (1) समस्त सम्पत्तियों की आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा। (2) सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सीलड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य **रु०-100.00** जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (3) आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5% एवं अनावासीय सम्पत्तियों में सम्पत्ति के मूल्य का 10% धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो **“उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद”** के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ नीलामी तिथि में भाग ले सकते हैं अथवा नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व सीलड बिड के साथ जमा करना होगा। (4) शैक्षणिक भूखण्डों हेतु पुस्तिका सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, भरतपुरी योजना, गोण्डा से **रु०-1000.00** में क्रय कर विज्ञापन प्रकाशन तिथि से एक माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क **रु०-5000.00** सहित जो **“उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद”** को देय होगा, सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, गोण्डा में जमा करना होगा। (5) सम्पत्ति आवंटन/नीलामी नियम शर्तें एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट:

www.upavp.in से प्राप्त की जा सकती हैं।

आवास आयुक्त

IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सेवोत्तम प्रमाणित

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

website: www.upavp.in; E-mail: info@upavp.com



परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए

जान सुविधा केंद्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज कर सकते हैं, उद्घाटन-कॉड-

1800-180-5333 (टोल-फ्री) **0522-2236803**

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है।